प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 23/2025 (अपील सूचना का अधिकार)
भगवानसिंह पताः 78 हरि मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04-03-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 02.12.2024 को जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित राजसेवकों के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/23/25/195–96 दिनांक 11.02.2025 से प्रत्यर्थी को लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांकः प./41/2/सू.अ/प्रथम अपील/23/2025/98 दिनांक 12.02.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 63 दिनांक 21.01.2025 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) व 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शूल्क अनुसार नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 05 अनुसार कुल राशि 10/– रुपये राजकोष मे जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था। अतः आप प्रार्थी को निर्देशित करे कि उनके द्वारा चाही जा रही सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित शूल्क राजकोष में जमा करा उक्त सूचना प्राप्त करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 98 दिनांक 12.02.2025 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आवेदन प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालय के पत्रांक 63 दिनांक 21.01.2025 से वांछित सूचना के संबंध में निर्धारित शूल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन),

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर के कार्यालय में निर्धारित शूल्क जमा करा सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 04-03-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

जिला अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर